क्रम-संख्या–360(क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 जून, 1979

आषाढ़ 5, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1605/सत्रह-वि0-1--7-1979

लखनऊ, 26 जून, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 22 जून, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उ० प्र० अधिनियम संख्या 10 सन् 1953 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "श्री आचार्य विनोबा भावे" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" और खण्ड (ख) में, शब्द "श्री आचार्य विनोबा भावे नामांकित करेंगे" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार नामांकित करेगी" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "या उनकी नियुक्ति" निकाल दिये जायेंगे और शब्द "की जायगी" के स्थान पर शब्द "किया जायगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "अथवा सदस्यों का, जैसी भी दशा हो, नामांकन और नियुक्ति" के स्थान पर शब्द "और सदस्यों के नामांकन" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 1605/XVII-V-I—7-1979

Dated Lucknow, June 26, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 22, 1979.

THE UTTAR PRADESH BHOODAN YAGNA (AMENDMENT) ACT, 1979

(U. P. ACT NO. 23 OF 1979).

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 1979.

Amendment of section 4 of U.P. Act X of 1953.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), for the words "Sri Acharya Vinoba Bhave" wherever occurring, the words "the State Government" shall be *substituted ;*

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted ;*

(*c*) in sub-section (3), the words "or appointment" shall be *omitted.*

Amendment of section 17.

3. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*a*) *for* the words "nomination and appointment of Chairman or the members thereto, as the case may be", the words "and nomination of Chairman and the members thereto" shall be *substituted.*

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 91 सा० (विधा०)—26-6-79—(1025)—1979—650 (मेक०)।